राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़

जगमग हैल्पलाईन :– 07432–230645,
07432 –230646

फोन न. 07432–230403, फैक्स न. –230404
Email: dm-jha-rj@nic.in

क्रमांक / न्याय / 2018 / 1422

दिनांक: 12.03.2018

–: आदेश :–

पुलिस अधीक्षक झालावाड ने पत्र सं0 सीबी / विविध / झाला / 17 / 6108–09 दिनांक 26.02.18 से पुलिस थाना सदर झालावाड के अभियोग सं0 14 / 18 धारा 3 / 25, 5 / 25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त फिरोज खान पुत्र मुन्ना खां जाति मुसलमान उम्र 32 साल निवासी सन्धारा थाना भानपुरा जिला मन्दसौर मध्य प्रदेश के विरूद्ध आर्म्स एक्ट की धारा 3 / 25 के अंतर्गत धारा 39 के तहत अभियोजन स्वीकृति जारी करने हेतु मूल पत्रावली भिजवाई है।

प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 17.01.2018 को श्री महावीर सिंह हैड कानि0 75 को जर्ये मुखबिर सूचना मिलने पर मय जाप्ता के रवाना होकर देवनगर मोड सुनेल रोड पर पहुंच कर मुलजिम फिरोज खान पुत्र मुन्ना खां जाति मुसलमान उम्र 32 साल निवासी सन्धारा थाना भानपुरा जिला मन्दसौर मध्य प्रदेश के कब्जे से एक देशी पिस्टल व 3 जिदां कारतूस जप्त कर वापसी थाने पर प्रकरण सं0 14 / 18 धारा 3 / 25 आर्म्स एक्ट मे दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया।

दौराने अनुसंधान निरीक्षण घटनास्थल किया फरियादी एंव गवाहान के कथन लेखबद्व किये । अभियुक्त फिरोज खान से तफतीश करने पर जप्तशुदा हथियार व कारतूस मोनु राठौर उर्फ राजकुमार पुत्र दुलीचंद जाति तेली निवासी झालरापाटन से खरीद किया जाना पाया जाने पर प्रकरण मे 5 / 25 आर्म्स एक्ट एड कर अभियुक्त मोनु उर्फ राजकुमार तेली को प्रकरण मे फोंरमल गिरफतार किया गया। जप्तशुदा देशी पिस्टल व कारतूसो का आर्मोरर पुलिस लाईन झालावाड से मेकेनिकल मुआयना करवाया गया तो उक्त देशी पिस्टल 7.65 एमएम लोकल मेटल लोहे का बना हुआ है, जिस पर किसी प्रकार के मार्का व नंबर अंकित नही है। इसके सभी पार्टस सही कार्यरत है जो फायर करने योग्य है जो फायर आर्म्स की जद मे आती है व 3 कारतूस 7.65 एमएम के है जो पीतल के बने हुए है, जो जिंदा अवस्था मे है, जो एम्युनेशन की परिभाषा मे आते है। अभियुक्त के नाम शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी होना नही पाया गया।

प्रकरण में सहायक निदेशक अभियोजन झालावाड़ की राय ली गई। सहायक निदेशक अभियोजन ने अपनी राय में व्यक्त किया है कि अभियुक्त के विरूद्व धारा 3 / 25 आर्म्स एक्ट के अपराध के लिए धारा 39 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोजन स्वीकृति जारी करने के प्रथम दृष्टया आधार पुष्ट होते है।

प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री कुन्दन एचसी 392 पुलिस थाना सदर झालावाड व आरमोरर पुलिस लाईन श्री यंशवत सिंह उपस्थित हुए। मेरे द्वारा सील्ड देशी पिस्टल व कारतूसो को खुलवाकर भौतिक निरीक्षण किया गया एवं पुनः आर्मोरर की सील से सील्ड करवाया गया। जब्ती रिपोर्ट एवं आर्मोरर (Armourer) रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन किया गया। केस डायरी में उपलब्ध समस्त रेकार्ड, आर्मोरर (Armourer) की स्पष्ट रिपोर्ट, तथा सहायक निदेशक अभियोजन की राय से सहमत होकर एंव अपने न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए प्रस्तुत प्रकरण आगे अभियोग चलाये जाने योग्य मानते हुए आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 39 में प्रदत्त शक्तियों के तहत अभियोजन स्वीकृति के पर्याप्त आधार होने के कारण अभियुक्त फिरोज खान पुत्र मुन्ना खां जाति मुसलमान उम्र 32 साल निवासी सन्धारा थाना भानपुरा जिला मन्दसौर मध्य प्रदेश फिरोज खान पुत्र मन्ना खां जाति मुसलमान उम्र 32 साल निवासी सन्धारा थाना भानपुरा जिला मन्दसौर मध्य प्रदेश के विरूद्व आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 3 / 25 के अन्तर्गत अभियोजन चलाये जाने हेतु धारा 39 के तहत अभियोजन स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

(डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला मजिस्ट्रेट, झालवाड

जहाँ सोच, वहाँ शौचालय,
बदलो सोच, बनाओ शौचालय।

माँ घर में घूँघट तेरा साथी,
फिर क्यों शौच खुले में जाती

E/Procecution Senction

जगमग झालावाड